17.05.2022	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से अपीलार्थी द्वारा द्वारा लोक अदालत की बैंच संख्या दो के समक्ष लिखित में शपथ पत्र पेश कर व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा मौजा धनारी पटवार हल्का धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 51 रकबा 03.00 बीघा किस्म गै.मु.तालाब पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया था उसे दिनांक 23.03.2020 को हटा लिया गया है एवं पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को कब्जे से बेदखल कर दिया गया । अतः अपीलार्थी की अपील जरिए लोक अदालत की बैंच संख्या दो के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके एवं रेकर्ड की जांच कर मौके पर यदि अपीलार्थी का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner